

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता पीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.प.एस.)

मलकीत कौर आदि बनाम अमरजीत सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए मुकदमा नं. 87/2022

निर्णय दिनांक :- 18.10.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई रुबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजु व प्रतिवादी श्री मनीष जायिड पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र मालीय अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955, स्वीकार किया जाकर चक 10 का श्री जमाबंदी संख्या 2075 ता 78 के खाता संख्या 147/145 के मुरब्बा नम्बर 20 की कुल 0.223 हेक्टेयर भूमि में से मृतक जग्गा उर्फ जंग सिंह पुत्र खडका सिंह जाति बावरी के नाम पर कुल 1.265 हेक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1, 2, प्रतिवादी संख्या 3, प्रत्येक को 1/5 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 को 1/5 बहिस्सा बराबर का, 2/1 ता 2/4 को 1/5 बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बरतन लेंगे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 18.10.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी

के आ.।

[सुभाष चन्द्र (आर.प.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

मुददा	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीवादी	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
मेहनताना	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	04	00

[सुभाष चन्द्र (आर.प.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 18.10.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/531

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

[सुभाष चन्द्र (आर.प.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

